



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़(छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़समरिया, ओड़िसा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल-registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 1451 / E / परीक्षा-गोपनीय / 2026

रायगढ़, दिनांक 03 / 07 / 2026

प्रति,

प्राचार्य

समस्त संबद्ध महाविद्यालय

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- सत्र 2025-26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक सम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक परीक्षा आयोजित एवं आंतरिक परीक्षाओं के अंक प्रविष्ट करने संबंध में।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सत्र 2025-26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक सम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 09/07/2026 से 25/07/2026 तक महाविद्यालय में आयोजित कराके प्रायोगिक परीक्षाओं के प्राप्तांक अंक निर्धारित तिथि के अंदर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को प्रदान किये गये ऑनलाईन पोर्टल पर प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें।

विश्वविद्यालय द्वारा संबंधित विषय हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षक से DSC(DISCIPLINE SPECIFIC COURSE), DSE(DISCIPLINE SPECIFIC ELECTIVE) एवं GE(GENERIC ELECTIVE) की प्रायोगिक परीक्षा कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित करने हेतु नियुक्त बाह्य परीक्षकों की सूची महाविद्यालय को दिनांक 07/07/2026 तक ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जायेंगी एवं आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 2157 / E / परीक्षा-गोपनीय / 2024 रायगढ़, दिनांक 02 / 12 / 2024 के अनुसार की जा सकेगी।

1. सत्र 2025-26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के AEC-04 COMMUNICATIVE ENGLISH AND SOFT SKILL के प्राप्तांक अंक प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।
2. सत्र 2025-26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के SEC (SKILL ENHANCEMENT COURSE) के प्राप्तांक अंक प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।
3. सत्र 2025-26 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक सम सेमेस्टर में अध्ययनरत नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के आंतरिक परीक्षाओं के अंक निर्धारित तिथि में प्रविष्ट करना सुनिश्चित करें।
4. प्रायोगिक एवं आंतरिक परीक्षा के अंक की अधोहस्ताक्षरित पर्ण/प्रतिपर्ण की हार्डकॉपी दिनांक 27/07/2026 एवं 28/07/2026 तक अनिवार्यतः विश्वविद्यालय के गोपनीय विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

१२

5. महाविद्यालय द्वारा किसी भी परीक्षार्थियों के पर्ण/प्रतिपर्ण ऑफलाईन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
6. त्रुटिपूर्ण प्रविष्टी के लिए संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य उत्तरदायित्व होंगे।
7. निर्धारित तिथि में समस्त प्रक्रिया पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

नोट :- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य बिल का समायोजन विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय बाह्य परीक्षक के पत्र की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न कर प्रेषित करें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार



कुलसचिव


पृ. क्रमांक 1452/E/परीक्षा-गोपनीय/2026

रायगढ़, दिनांक 03/07/2026

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. प्रभारी अधिकारी परीक्षा को सादर सूचनार्थ।
4. कक्ष प्रभारी परीक्षा-गोपनीय को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।


प्रभारी अधिकारी (गोपनीय)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़समरिया, ओड़िशारोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 498001

ई-मेल :- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 1404 / E / परीक्षा-गोपनीय / 2026

रायगढ़, दिनांक 14 / 05 / 2026

प्रति,

प्राचार्य,
संबद्ध समस्त महाविद्यालय
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक सेमेस्टर परीक्षा AEC-04 (COMMUNICATIVE ENGLISH AND SOFT SKILLS) एवं SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC) POOL के संबंध में।

विषयान्तर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक सेमेस्टर परीक्षा AEC-04 (COMMUNICATIVE ENGLISH AND SOFT SKILLS) एवं SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC) POOL पाठ्यक्रम को अवलोकन/सुझाव/अभिमत हेतु विद्या परिषद स्थायी समिति को बैठक दिनांक, 13 / 05 / 2026 के समक्ष रखा गया। जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गये :-

01. AEC-04 (COMMUNICATIVE ENGLISH AND SOFT SKILLS) की परीक्षा प्रायोगिक होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर के AEC-04 (COMMUNICATIVE ENGLISH AND SOFT SKILLS) की प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय स्वयं अपने स्तर पर आयोजित कर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अंक अपलोड कर हार्ड कॉपी को विश्वविद्यालय में प्रेषित करेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षक की नियुक्ति नहीं की जावेगी एवं किसी प्रकार का TA/DA/पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। आगामी सत्र से उक्त पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति/सदस्य संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् अंकों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया जाएगा।

02. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्नातक II, IV, V, VI सेमेस्टर SKILL ENHANCEMENT COURSE (SEC) POOL के प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय स्वयं अपने स्तर पर आयोजित कर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अंक अपलोड कर हार्ड कॉपी को विश्वविद्यालय में प्रेषित करेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षक की

lv

नियुक्ति नहीं की जावेगी एवं किसी प्रकार का TA/DA/पारिश्रमिक विश्वविद्यालय द्वारा देय नहीं होगा। आगामी सत्र से उक्त पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति/सदस्य संबंधित अभिलेखों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। दृश्यता अंकों को विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड किया जाएगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव


क्रमांक 1106 /E/परीक्षा-गोपनीय/2026

रायगढ़, दिनांक 14/05/2026

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ ।
2. कुलसचिव महोदय को सादर सूचनार्थ ।
3. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय, जिला-रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा को सादर सूचनार्थ ।
4. प्रभारी अधिकारी अकादमी को सादर सूचनार्थ ।
5. प्रभारी अधिकारी परीक्षा/गोपनीय को सादर सूचनार्थ ।
6. कक्ष प्रभारी गोपनीय को सादर सूचनार्थ ।
7. कार्यालयीन प्रति ।

L


प्रभारी अधिकारी (गोपनीय)



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़चमरिया, ओडिशारोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल :- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाइट :- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2157/E/परीक्षा-गोपनीय/2024

रायगढ़, दिनांक 02/12/2024

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
जौंजगीर-चौपा, सक्ती एवं रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.)

विषय:- प्रायोगिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विश्वविद्यालय से समस्त संबद्ध महाविद्यालयों में संघालित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है उनमें निम्नानुसार आंतरिक परीक्षक नियुक्ति किये जा सकेंगे:-

01. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, का पत्र क्रमांक-एफ 3-54/स्था./2020/38-1, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024 के द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति (पॉलिस्सी)-2024 के कंडिका/बिन्दु क्रमांक 12 के अनुसार महाविद्यालय के प्रायोगिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षक की नियुक्ति उल्लेखित निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
02. शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत संबंधित विषय के नियमित एवं अशासकीय महाविद्यालय में परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्त/कार्यरत शिक्षक महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उस विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं में आंतरिक परीक्षक नियुक्त किये जा सकेंगे।
03. किसी महाविद्यालय में उक्त संबंधित विषय के नियमित/परिनियम 28 में नियुक्त/कार्यरत शिक्षक नहीं होने की स्थिति में संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा समीपस्थ स्थित अन्य शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय से संबंधित विषय के नियमित/परिनियम 28 में नियुक्त/कार्यरत शिक्षक को संबंधित विषय की प्रायोगिक परीक्षा हेतु आंतरिक परीक्षक नियुक्त किया जा सकेगा जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार


कुलसचिव

क्रमांक 2158/E/परीक्षा-गोपनीय/2024

रायगढ़, दिनांक 02/12/2024

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति जी के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
02. प्राचार्य समस्त संबद्ध महाविद्यालय को सूचनार्थ।
03. वित्ताधिकारी, शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ को सूचनार्थ।
04. कक्षा प्रभारी, परीक्षा/गोपनीय को सूचनार्थ।


प्रभारी अधिकाारी (गोपनीय)

12

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

0

क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/38-1
प्रति

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024

आयुक्त

उच्च शिक्षा सहायकालय,

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर छत्तीसगढ़

विषय - उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी करण सम्बन्ध

उच्च शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति 2024 की मंजूरीपत्र के संस्था प्रस्तुत कर उच्च नीति पर दिनांक 19 जून 2024 (आकृतम क्रमांक 10.06) द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया है। उक्त अतिथि व्याख्याता नीति 2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

उक्त अतिथि व्याख्याता नीति में दी गई व्याख्याता के संकाय में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - तयरीकानुसार।

(पृ. 01 से 19 तक)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार.

(कीर्तिवर्धन सपाध्याय)

अवर सचिव

उच्च शासन उच्च शिक्षा विभाग

पु. क्रमांक एफ 3-54/स्था/2020/38-1.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 20/06/2024

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
3. महासहायक, रायपुर, कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)
4. सहायक, कोष लेखा एवं पेशवा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
5. विशेष सहायक, सा. मंत्री उच्च शिक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर (छ.ग.)
6. अवर सचिव, उच्च शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
7. अवर सचिव, उच्च शासन, उच्च शिक्षा विभाग (न्यायतलयीन शाखा) मंत्रालय
7. तमस्त सचिव अवर सहायक, उच्च शिक्षा विभाग (छ.ग.)
8. तमस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, (छ.ग.)
9. तमस्त शिक्षा कार्यालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
10. वद सर्टेन में आग नाउ हेतु
- की और सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. आदेश फाइलर.

अवर सचिव

उच्च शासन, उच्च शिक्षा विभाग

11. अवकाश सुविधा:-

- 11.1 पी-एच.डी. हेतु कोर्स वर्क/शोध-ग्रंथ कार्य पूर्ण करने के आवेदन पर अधिकतम 180 दिवस का अवैतनिक पी-एच.डी. अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- 11.2 प्रसूति (मातृत्व) अवकाश अधिकतम 180 दिवस के लिये दिये जायेंगे। प्रसूति (मातृत्व) अवकाश अवधि के लिए किसी प्रकार का वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा। संस्था प्रमुख द्वारा उक्त अवधि का अवैतनिक प्रसूति अवकाश (अतिथि) स्वीकृत किया जायेगा।
- 11.3 अधिकतम 180 दिवस से अधिक अवकाश पर रहने की स्थिति में अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को पुनः उसी महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की पात्रता नहीं होगी किन्तु नया विज्ञापन प्रकाशित होने की स्थिति में नियमानुसार आवेदन की पात्रता होगी।
- 11.4 उक्त अवधि के दौरान अध्ययन-अध्यापन के सुचारु संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रतीक्षा सूची से अन्य वैकल्पिक व्याख्याताओं की व्यवस्था इस शर्त पर की जायेगी कि अवकाश में गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के पी-एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश उपरान्त वापस कार्यभार ग्रहण करने पर वैकल्पिक व्याख्याता को उनके कार्य से स्वतः कार्यमुक्त माना जायेगा।
- 11.5 वैकल्पिक व्याख्याता को अध्यापन के एवज में मानदेय एवं 01 शिक्षा सत्र में 05 माह तक अध्यापन पूर्ण करवाने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता होगी किन्तु विस्थापित श्रेणी की पात्रता नहीं होगी। अवकाश पर प्रस्थान किये अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा अधिकतम 180 दिवस अवकाश का उपभोग के पश्चात् निर्धारित तिथि पर कार्य ग्रहण नहीं करने की स्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा यदि वैकल्पिक व्याख्याता से आगे भी अध्यापन कार्य निरंतर रखा जाता है तब ऐसे वैकल्पिक व्याख्याताओं को विस्थापित श्रेणी की भी पात्रता होगी।
- 11.6 वैकल्पिक व्याख्याता को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट-4) देना होगा।
- 11.7 पी-एच.डी. अध्ययन/प्रसूति अवकाश लेने वाले अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य को उस अवधि के अनुभव का लाभ प्रदाय नहीं दिया जायेगा।

12. विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकन संबंधी :-

श्रेणी-1, 2 एवं 3 के ऐसे अतिथि व्याख्याता जिन्हें 03 शैक्षणिक सत्र (न्यूनतम 15 माह) का अध्यापन अनुभव है, वे राज्य के विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की समस्त परीक्षाओं में आंतरिक एवं बाह्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य संपादन कर सकते हैं। जिसका भुगतान संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा उनके मूल्यांकन हेतु प्रचलित नियमानुसार किया जायेगा। विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी।